Regarding Cooperative Societies and Cooperative Banks

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में गरीब महिलाओं का एक बड़ा मोर्चा निकला था, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जमा की थी, उसमें 70, 80 और 90 तक की महिलाएं थीं । जब वे अपने हक के पैसे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक्स ने डुबा दिए हैं, करोड़ों रुपये ले कर भाग गए हैं, जब वे अपना पैसा मांगने के लिए गईं तो उनके ऊपर आँसू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज की कई, जिसमें कई महिलाएं ज़ख्मी हुई हैं, मैं भी उस मोर्चे में शामिल था ।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करे कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई है, उसे रद्द किया जाए, क्योंकि वे हक और मेहनत की कमाई मांग रहं थीं । इसी तरह से आदर्श जैसे घोटाले हिंदुस्तान में कई जगह हो रहे हैं । सरकार को कोई न कोई कानून बनाना चाहिए, वर्ना गरीबों के पैसे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक्स के अंदर जमा करते हैं, ऐसे ही मारे जाते रहेंगे ।

केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को यह कहा जाना चाहिए कि यह एफआईआर वापस ली जाए और इस पर एक इंक्वायरी की जाए ।